

Delhi, the 9th February, 2010

No. F. 10(1072)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10285.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Lahmeyer International (India) Pvt. Ltd. A-3, 2nd floor, Neeti Bagh, New Delhi-110049 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,000 (Rs. Ten thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1,00,001 to 2,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1041)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/10292.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स डाइजियो रेडिको डिस्टीलरिज प्रा. लि. प्लॉट नं. जे-1, ब्लाक बी-1, मोहन कोपरेटिव, इंडस्ट्रियल ऐरिया, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 10,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,50,00,001 से 2,50,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,00,000 (रुपए एक लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1041)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10292.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Diageo, Radico Distilleries Private Limited, Plot No. J-1, Block B-1, Mohan Co-operative Industrial Area, Mathura Road, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,00,000 (Rs. one Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 10,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1,50,00,001 to 2,50,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1061)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/10294.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स सियोटा हाईड्रो पावर प्रा. लि. जी-77, सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली-110003 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 3,67,41,370 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक

**OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING
REVENUE AUTHORITY**

ORDERS

Delhi, the 8th February, 2010

No. F. 10(1060)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10276.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Haskoning India Private Limited, 1A-D, Vandana Building, Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi -110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 56,000 (Rs. Fifty Six Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,60,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 19,901 to 75,900 to be issued by the said company.

दिल्ली, 9 फरवरी, 2010

सं. फा. 10 (1072)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/10285.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स लेहमेयर इन्टरनेशनल (इंडिया) प्रा. लि. ए-3, दूसरी मंजिल, नीती बाग, नई दिल्ली-110049 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,00,001 से 2,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 10,000 (रुपए दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

... 1,10,90,084 से 1,47,64,220 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 36,742 (रुपए छत्तीस हजार सात सौ ब्यालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1061)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10294.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs the M/s. Slyota Hydro Power Private Limited, G-77, Sujan Singh Park, New Delhi-110003 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 36,742 (Rs. Thirty Six Thousand Seven Hundred Forty Two) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,67,41,370 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1,10,90,084 to 1,47,64,220 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1062)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/10295.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स हीरित हाईड्रो पावर प्रा. लि. जी-77, सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली-110003 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 2,33,80,870 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,14,31,418 से 1,37,869,504 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 23,381 (रुपए तेईस हजार तीन सौ इक्यासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1062)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10295.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Hirit Hydro Power Private Limited, G-77, Sujan Singh Park, New Delhi-110003 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 23,381 (Rs. Twenty Three Thousand Three Hundred Eighty One) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,33,80,870 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1,14,31,418 to 1,37,869,504 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1063)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/10296.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स पौक हाईड्रो पावर प्रा. लि. जी-77, सुजान

सिंह पार्क, नई दिल्ली-110003 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 3,67,41,370 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 85,30,077 से 1,22,04,213 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 36,742 (रुपए छत्तीस हजार सात सौ ब्यालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1063)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10296.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Pauk Hydro Power Private Limited, G-77, Sujan Singh Pauk, New Delhi-110003 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 36,742 (Rs. Thirty-six Thousand Seven Hundred Forty Two) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,67,41,370 for equity Share certificates with distinctive Nos. 85,30,077 to 1,22,04,213 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1064)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/10297.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स हियो हाईड्रो पावर प्रा. लि. जी-77, सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली-110003 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 3,67,41,370 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,22,43,419 से 1,59,17,555 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 36,742 (रुपए छत्तीस हजार सात सौ ब्यालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1064)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10297.—In exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs the M/s. Heo Hydro Power Private Limited, G-77, Sujan Singh Parks, New Delhi-110003 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 36,742 (Rs. Thirty Six Thousand Seven Hundred Forty Two) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,67,41,370 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1,22,43,419 to 1,59,17,555 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1057)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/10300.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक

प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स कोबोल टेक्नोलॉजिज प्रा. लि. एन-23-बी, ब्लॉक-एन, डीडीए क्लेटस, साकेत, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 15,89,11,000 मूल्य के फुल्ली कनवर्टीबल, डिबेन्चर जिनकी पृथक संख्या 17,19,445 से 18,78,355 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 3,97,278 (रूपए तीन लाख सतानबे हजार दो सौ अठठहतर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1057)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10300.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs the M/s. Cobol Technologies Private Limited N-23-B, Block-N, DDA Flats, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,97,278 (Rs. Three Lac Ninety Seven Thousand Two Hundred Seventy Eight) only on the aggregate value of debentures of Rs. 15,89,11,000 for issue of fully Convertible debentures bearing distinctive Nos. 17,19,445 to 18,78,355 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1073)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/10336.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स आर्यन कार्गो एक्सप्रेस प्रा. लि. ए-87/88, रोड नं. 4, महिपाल पुर एक्स्टेंशन नई दिल्ली-110037 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 10,72,97,500 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,00,001 से 1,17,29,750 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 1,07,298 (रूपए एक लाख सात हजार दो सौ अठानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1073)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10336.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs the M/s. Aryan Cargo Express Pvt. Ltd., A-87/88, Road No. 4, Mahipal Pur Extension, New Delhi-110037 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,07,298 (Rs. One Lac Seven Thousand Two Hundred Ninety Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 10,72,97,500 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10,00,001 to 1,17,29,750 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1071)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/10346.—

मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स टूडे होटल्स (नई दिल्ली) प्रा. लि. सोहलवीं मंजिल, स्टेट्समेन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 79,05,64,500 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 69,29,401 से 1,21,99,830 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 7,90,565 (रूपए सात लाख नब्बे हजार पांच हजार पैंसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1071)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10346.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs the M/s. Today Hotels (New Delhi) Pvt. Limited, Statesman House, 16th Floor, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 7,90,565 (Rs. Seven Lac Ninety Thousand Five Hundred Study Five) only on the aggregate value of shares of Rs. 79,05,64,500 for equity Share certificates with distinctive Nos. 69,29,401 to 1,21,99,830 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1055)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/10347.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स अन्टार्टिका होस्पिटैलिटी प्रा. लि., 1ए वन्दना, 11, टोल्सटोय मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 2,59,67,700 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 75,79,676 से 77,52,793 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 25,968 (रूपए पच्चीस हजार नौ सौ अडसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1055)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10347.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Antarctica Hospitality Limited, 1-A, Vandhna, 11, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,968 (Rs. Twenty Five Thousand Nine Hundred Sixty Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,59,67,700 for

Equity Share Certificates with distinctive Nos. 75,79,676 to 77,52,793 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1065)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/10348.

— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स बर्गरूप एजुकेशन प्रा. लि., 207, एनडीएम-1, वी3एस माल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 15,91,65,400 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,13,34,206 से 1,53,13,341 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 1,59,166 (रूपए एक लाख उनसठ हजार एक सौ छयासठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1065)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10348.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Berggruen Education Private Limited, 207, NDM-1, V3S Mall, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,59,166 (Rs. One Lac Fifty Nine Thousand One Hundred Sixty Six) only on the aggregate value of shares of Rs. 15,91,65,400 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1,13,34,206 to 1,53,13,341 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (886)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/

10349.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1898 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स आई केयर हैल्थ प्रोजेक्ट्स एण्ड रिसर्च प्रा. लि., 227, ओखला इस्टेट फेस-III, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 8,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 30,02,936 से 55,02,935 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 85,000 (रूपए पचासी हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(886)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10349.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs the M/s. Icare Health Projects and Research Private Limited, 227, Okhla Estate

Phase III, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 85,000 (Rs. Eighty Five Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 8,50,00,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 30,02,936 to 55,02,935 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1087)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/

10350.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स इण्डियन ऑयल पेट्रोनस प्रा. लि., बारहवीं मंजिल, मोहन देव बिल्डिंग, 13, टालस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 80,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 12,00,00,001 से 20,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 8,00,000 (रूपए आठ लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1087)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10350.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Indian Oil Petronas Private Limited, 12th Floor, Mohan Dev Building, 13, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 8,00,000 (Rs. Eight Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 80,00,00,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 12,00,001 to 20,00,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1080)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/

10351.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1898 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स लेकलेण्ड ग्लोव्स एण्ड सेफ्टी एपरेल प्रा. लि., आर-13 और 14, एलजीएफ, अंसल चेम्बर-II, 6, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 47,48,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 37,06,870 से 41,81,669 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 4748 (रूपए चार हजार सात सौ अड़तालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1080)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10351.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Lakeland Gloves and Safety

Apparel Private Limited, R-13 and 14, LGF, Ansal Chamber-II, 6, Bhikaji Cama Place, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4748 (Rs. Four Thousand Seven Hundred Forty Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 47,48,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 37,06,870 to 41,81,669 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1079)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/10352.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स साइक्लोप पैकेजिंग सिस्टम्स (इंडिया) प्रा. लि., प्लेट नं. 122, राष्ट्रपति भवन, कैबिनेट अफेयर्स ग्रुप हाउसिंग कॉ. सोसायटी, प्लॉट नं. 3, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 43,44,520 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 27,60,715 से 31,95,166 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 4345 (रुपए चार हजार तीन सौ पैतालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1079)/COS(HQ)2Cons. Duty/08/10352.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cyclop Packaging Systems (India) Private Limited, Flat No. 122, Rashtrapati Bhawan Cabinet Affairs Group Housing Co. Society, Plot No. 3, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4345 (Rs. Four Thousand Three Hundred Forty Five) only on the aggregate value of shares of Rs. 43,44,520 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 27,60,715 to 31,95,166 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1090)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/10353.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स फ्युचर सेफ सर्विसेज लि., सी-1/13, यमुना विहार, दिल्ली-110053 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 10,18,380 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 16,85,17 से 18,70,32 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 1024 (रुपए एक हजार चौबीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

No. F. 10(1090)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10353.

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Futuresafe Service Limited, C-1/13, Yamuna Vihar, Delhi-110053 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1024 (Rs. One Thousand Twenty Four) only on the aggregate value of shares of Rs. 10,18,380 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 16,85,17 to 18,70,32 to be issued by the said company.

By Order of the Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)